

मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 19/06/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 19/06/2024 को दोपहर 10:30 बजे मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- 1) श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (दिनांक 23/09/2008 के पत्र के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
- 2) श्री जगदीश चंद्र, एफटीडीओ, विदेश व्यापार महानिदेशालय दिल्ली।
- 3) श्री योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त (उद्योग), डीआईसी, मुरादाबाद।
- 4) श्री देवेन्द्र कुमार तोमर, अधीक्षक, सीजीएसटी मुरादाबाद।
- 5) श्री भूपेन्द्र सिंह मर्तोल्या, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी मुरादाबाद।
- 6) श्री आनन्द प्रकाश, निरीक्षक, आयकर विभाग, मुरादाबाद।
- 7) सुश्री गेसू मोर्य, यूपीएसआईडीए, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान एस/श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क), मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iii) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित रहें थे। यह सूचित किया जाता है कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यसूची में शामिल विषयों पर एक-एक करके विचार-विमर्श किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ इकाइयों के आवेदकों/प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए:

1. 10.04.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

चूंकि 10.04.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया। तदनुसार, 10.04.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

2. मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव।

2.1 मेसर्स इंट्रा ओवरसीज।

1. मेसर्स इंट्रा ओवरसीज ने विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑनलाइन अनुरोध आईडी 112400002234 दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। यह पीतल, एल्यूमीनियम, लोहा, कांच और लकड़ी से बने हस्तशिल्प वस्तुओं के विनिर्माण और निर्यात के साथ-साथ एल्यूमीनियम, कांच, लोहा, तांबा और लकड़ी की कलाकृतियों से बने

सुरेंद्र मलिक

हस्तशिल्प वस्तुओं के ऐक्रेलिक आर्टवेयर के लिए था। उनका अनुमानित निर्यात पांच साल की अवधि में 701.40 लाख रुपये के निवल विदेशी मुद्रा के साथ 701.40 लाख रुपये था।

2. विकासक यूपीएसआईडीए (दिनांक 30.04.2024 के पत्र के माध्यम से 29.07.2024 तक प्लॉट पर समय विस्तार प्रदान किया गया) ने पॉकेट-‘ए’ में प्लॉट संख्या जी-72, जिसका क्षेत्रफल 727.00 वर्ग मीटर है, मेसर्स इंद्रा ओवरसीज को आवंटित किया। परियोजना की कुल लागत 115.00 लाख रुपये अनुमानित है, जिसमें 15.00 लाख रुपये की लागत से प्लॉट और मशीनरी की खरीद स्वदेशी रूप से की जाएगी।
3. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहम्मद मूसा इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री मूसा ने बताया कि उनके पास मुरादाबाद में मेसर्स इंद्रा डेकोर कॉरपोरेशन के नाम से एक परिचालन घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई है। यह घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई 2014 से परिचालन में है और वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 22 करोड़ रुपये का निर्यात करेगी। उनके मुख्य निर्यात उत्पाद अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब को झूमर, पेंडेंट आदि जैसे सजावटी सामान थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे प्लॉट और मशीनरी में 15 लाख रुपये का निवेश करेंगे, जिसे स्थानीय स्तर पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बाजार से खरीदा जाएगा। इसके अलावा वे अपना कच्चा माल घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से ही खरीदेंगे।
4. इकाई से 2014 में जारी स्वीकृति पत्र में उत्पादन शुरू न करने का कारण पूछा गया, जो 31.12.2017 को समाप्त हो गया था। इसके अलावा, इकाई ने समय पर इसे बढ़ाया नहीं और अनुमोदन समिति द्वारा 27.11.2019 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकृति पत्र को “समाप्त/व्यपगत” के रूप में रद्द माना गया। श्री मूसा ने बताया कि पारिवारिक संपत्ति विवाद के कारण वे उस समय उत्पादन शुरू नहीं कर पाए थे। अब यह मामला सुलझ गया है और वे विशेष आर्थिक क्षेत्र से ही पूर्ण रूप से काम करने की योजना बना रहे हैं।
5. यूपीएसआईडीए की क्षेत्रीय प्रबंधक सुश्री गेसू मौर्य ने बताया कि यूपीएसआईडीए की नीतियों के अनुसार, आवंटी द्वारा भूखंड को सरेंडर करने या आवंटन के बाद 10 वर्ष से अधिक समय तक भूखंड का उपयोग न करने की स्थिति में भूखंड आवंटन रद्द कर दिया जाता है। इंद्रा ओवरसीज के मामले में, भूखंड अभी भी आवंटी के पास था और रखरखाव शुल्क के रूप में भूखंड पर 18300/- रुपये बकाया थे।
6. अनुमोदन समिति ने पाया कि समाप्त हो चुके स्वीकृति पत्र के विरुद्ध नया स्वीकृति पत्र जारी करना विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम/नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, स्वीकृति पत्र के पुनरुद्धार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है। उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश दिया गया कि इकाई निम्नलिखित प्रस्तुत करे ताकि मामले को समाप्त/रद्द किए गए स्वीकृति पत्र के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदन बोर्ड को भेजा जा सके:
 - i. निर्यात और वित्तपोषण के देशों सहित इसकी व्यवस्थित व्यापार योजना।
 - ii. निर्यातक होने वाले उत्पादों के एचएस कोड और उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे कच्चे माल/मध्यवर्ती और पूंजीगत सामान।
 - iii. खरीद आदेश, यदि कोई हो?
 - iv. श्री मोहम्मद शारिक की निवल संपत्ति और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई यानी इंद्रा डेको कॉरपोरेशन का पिछले 3 वर्षों का निर्यात आंकड़ा।
 - v. भवन निर्माण के संबंध में सीई प्रमाण पत्र।

सुरेंद्र मलिक

3. मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव की समीक्षा।

3.1 मेसर्स ईस्ट एल्म।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स ईस्ट एल्म ने मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए अपने आवेदन के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध किया है। इसलिए, आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई देने और उसके प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए मामला अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था।
2. श्री शैलेन्द्र पाल सिंह, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा बताया कि उन्होंने अपने ई-मेल दिनांक 15.05.2024 के माध्यम से यूपीएसआईडीए तथा सहायक विकास आयुक्त कार्यालय, मुरादाबाद के साथ पिछले 04 वर्षों के पत्राचार की पूर्ण तिथिवार जानकारी प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि मई 2020 में स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के लिए पहली बार आवेदन करने के 4 साल बाद भी उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम के लिए अनुमति/ स्वीकृति पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने अनुमोदन समिति के समक्ष अपना प्रस्ताव रखने में हुई देरी और बाद के चरणों में अनुमोदन समिति द्वारा नई जानकारी की आवश्यकता के अपने आरोप को दोहराया।
3. समिति ने आवेदक को बताया कि प्रस्ताव को अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ 09 बार रखा गया, लेकिन आवेदक द्वारा पूर्ण अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्ताव अनुमोदन समिति में लंबित रहा। यह भी बताया गया कि आवेदक के प्रस्ताव को अनुमोदन समिति द्वारा 27.07.2022 को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, बशर्ते कि प्लॉट संख्या एच-26 के लिए विकासक अर्थात् यूपीएसआईडीए से समय विस्तार पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. विकासक के प्रतिनिधि ने बताया कि इकाई पर लगाए गए समय-विस्तार शुल्क और अन्य संबंधित शुल्क विकासक यानी यूपीएसआईडीए के मौजूदा नियमों के अनुसार इकाई द्वारा भुगतान किए जाने की आवश्यकता है। समय विस्तार शुल्क की छूट के प्रश्न पर, यूपीएसआईडीए ने जवाब दिया कि प्लॉट पर लगाए गए शुल्क यूपीएसआईडीए के नियमों/उपनियमों के अनुसार माफ नहीं किए जा सकते हैं और सभी टीईएफ शुल्क इकाई द्वारा भुगतान किए जाने की आवश्यकता है।
5. विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने पाया कि प्लॉट पर समय-विस्तार के मुद्दे को आवेदक और विकासक के बीच सुलझाया जाना चाहिए। इसलिए, आवेदक (मेसर्स ईस्ट एल्म) समय-विस्तार शुल्क मुद्दे के समाधान के लिए सक्षम प्राधिकारी, यूपीएसआईडीए से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा, यदि आवेदक स्वीकृति पत्र के लिए अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं, तो वे प्लॉट के लिए अब तक उनके द्वारा किए गए भुगतान की वापसी/प्रतिपूर्ति के लिए विकासक यानी यूपीएसआईडीए से संपर्क कर सकते हैं।
6. अनुमोदन समिति ने इस मामले में कानूनी राय लेने का भी निर्णय लिया।

4. व्यक्तिगत सुनवाई का प्रस्ताव:

4.1 मेसर्स इंडियन अलाइड एक्सपोर्ट्स।

सुरेंद्र मलिक

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स इंडियन एलाइड एक्सपोर्ट्स ने अपने स्वीकृति पत्र नवीकरण अनुरोध के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया है, इसलिए आवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई तथा उसके प्रस्ताव की समीक्षा के लिए मामला अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया है।
2. श्री शांतम गोयल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा अपने स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि 2020 में विदेशी व्यापार विकास और विनियमन के तहत जारी कारण बताओ सूचना के समय 44 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा में से केवल 27.00 करोड़ रुपये की प्राप्ति लंबित है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें विदेशी खरीदारों से नए ऑर्डर मिले हैं, जो उनके स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण न होने पर रद्द हो जाएंगे और वे भविष्य में उसी खरीदार के साथ काम नहीं कर पाएंगे। श्री शांतम गोयल ने यह भी बताया कि बैंक ने उनके गिरवी रखे घर की नीलामी के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसे वे काम न कर पाने की स्थिति में वापस नहीं कर पाएंगे।
3. अपनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए वित्त के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर श्री शांतम गोयल ने कहा कि वह अपनी मां से पैसे उधार लेंगे और अपनी संपत्ति बेच देंगे। समिति द्वारा श्री गोयल को बताया गया कि उनके द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए क्रय आदेशों को अभी तक खरीदार द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।
4. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद जून, 2015 से अगस्त, 2020 की अवधि के दौरान इकाई द्वारा किए गए निर्यात के लिए इकाई पर प्राप्ति हेतु लंबित बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि इकाई (i) अपनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए वित्त के स्रोत के साथ-साथ अपनी उचित वर्षवार व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करेगी, (ii) सभी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र आपूर्तिकर्ताओं के पूर्ण संपर्क और पते के विवरण के साथ-साथ अतीत में किए गए पूर्ण खाता-बही लेनदेन (आपूर्ति की गई/प्राप्त की गई वस्तुएं) के साथ-साथ इसकी भुगतान स्थिति भी प्रस्तुत करेगी और (iii) लंबित भुगतानों के कारण वापसी के लिए गणना प्रस्तुत करेगी।
5. अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई से अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के बाद मामले को विचारार्थ विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के समक्ष रखा जाए।

5. लंबित विदेशी मुद्रा की समीक्षा का प्रस्ताव:

5.1 मेसर्स अमृत हेंडीक्राफ्ट।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स अमृत हेंडीक्राफ्ट को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 55.57 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति न करने के लिए दिनांक 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इकाई को सुनवाई के यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 के बीच दी गई 08 व्यक्तिगत सुनवाई में से 01 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 55.57 करोड़ रुपये है।

सुरेंद्र मलिक

साथ ही, सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 2,47,94,398.00 रुपये थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।

3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक लंबित विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी कहा कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी विलम्ब के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.2 मेसर्स सुपीरियर मेटल्स ओवरसीज।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स सुपीरियर मेटल्स ओवरसीज को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 53.97 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति न करने के लिए दिनांक 07.10.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इकाई को सुनवाई के यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई नवंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 06 व्यक्तिगत सुनवाईयों में से 03 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 39.58 करोड़ रुपये है। साथ ही, सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 18,71,77,757.00 रुपये थी और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उनके भंडार का सत्यापन किया गया था।
3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक लंबित विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी विलम्ब के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

सुरेंद्र मलिक

5.3 मेसर्स एसआरजी इम्पेक्स।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स एसआरजी इम्पेक्स को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 58.53 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की निर्धारित नौ महीने की समयावधि से अधिक प्राप्ति न करने के लिए दिनांक 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 06 व्यक्तिगत सुनवाई में से 03 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 58.43 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 9,73,94,460.00 रुपये थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.4 मेसर्स नाज़ एक्सपोर्ट्स।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स नाज़ एक्सपोर्ट्स को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 28.47 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति न करने के लिए दिनांक 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इकाई को सुनवाई के यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 के बीच दी गई 06 व्यक्तिगत सुनवाइयों में से 02 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि कारण बताओ सूचना जारी करने के बाद से इकाई के लिए बकाया विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 35.98 करोड़ रुपये है। साथ ही, सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 1,04,36,889.00 रुपये थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।

सुरेंद्र मलिक

3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.5 मेसर्स मॉडर्न मेटल्स ओवरसीज।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स मॉडर्न मेटल्स ओवरसीज को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 07.10.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 125.69 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई नवंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 09 व्यक्तिगत सुनवाई में से 03 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 88.08 करोड़ रुपये है। साथ ही, सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 7,44,17,583.00 रुपये है और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उनके भंडार का सत्यापन किया गया है।
3. दिनांक 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से इकाई को बाहर करना शामिल है।

सुरेंद्र मलिक

5.6 मेसर्स ओएसआर इंटरनेशनल।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स ओएसआर इंटरनेशनल को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 53.78 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 06 व्यक्तिगत सुनवाई में से 02 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 51.50 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 13,70,17,719.00 रुपये थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. दिनांक 19.06.2024 को हुई अनुमोदन समिति की बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से इकाई को बाहर करना शामिल है।

5.7 मेसर्स फीनिक्स इंडिया इंक।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स फीनिक्स इंडिया इंक को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 63.43 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 07 व्यक्तिगत सुनवाई में से 04 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 63.43 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 13,24,51,053.00 रुपये थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।

सुरेंद्र मलिक

3. दिनांक 19.06.2024 को हुई अनुमोदन समिति की बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से इकाई को बाहर करना शामिल है।

5.8 मेसर्स ट्रेड्ज़ इंक।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स ट्रेड्ज़ इंक को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 84.60 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की निर्धारित नौ महीने की समयावधि से अधिक प्राप्ति न करने के लिए दिनांक 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 08 व्यक्तिगत सुनवाई में से 07 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 84.60 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 8,84,01,841.00 रुपये थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

सुरेंद्र मलिक

5.9 मेसर्स डॉलर इंडस्ट्रीज।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स डॉलर इंडस्ट्रीज को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 9 महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 33.78 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति न करने के लिए दिनांक 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 07 व्यक्तिगत सुनवाई में से 02 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 31.44 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 14,29,39,729.00 रुपये थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय तक लंबित विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.10 मेसर्स एसएफ स्टार इंटरनेशनल।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स एसएफ स्टार इंटरनेशनल को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 48.60 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 07 व्यक्तिगत सुनवाई में से 03 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 48.40 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 12,06,15,424.00 रुपये थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।

सुरेंद्र मलिक

3. दिनांक 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय तक लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.11 मेसर्स ओमेगा ट्रेक्सिम इंक।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स ओमेगा ट्रेक्सिम इंक को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 194.61 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 07 व्यक्तिगत सुनवाई में से 05 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 194.61 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 28,43,76,695.00 रुपये है और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.12 मेसर्स ज़म ज़म एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स ज़म ज़म एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड को एफ़टीडीआर अधिनियम, 1992 के तहत 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने

सुरेंद्र मलिक

की निर्धारित समय अवधि से परे 47.75 करोड़ रुपये की फ़ॉरेक्स राशि की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित रूप से पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 08 व्यक्तिगत सुनवाई में से 06 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया फ़ॉरेक्स की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।

2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 100.59 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 7,27,85,549.00 रुपये थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.13 मेसर्स इंडियन अलाइड एक्सपोर्ट्स।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स इंडियन अलाइड एक्सपोर्ट्स को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 07.10.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 44.89 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 08 व्यक्तिगत सुनवाई में से 02 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 27.80 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 10,02,81,241.00 रुपये है और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. श्री शांतम गोयल 19.06.2024 को आयोजित बैठक में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि उन्होंने लंबित विदेशी मुद्रा से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त की है और वर्तमान में लंबित विदेशी मुद्रा लगभग 27.80 करोड़ है।

सुरेंद्र मलिक

4. अनुमोदन समिति ने नोट किया कि मामले को पहले ही कार्यसूची बिंदु संख्या 4.1 पर उठाया जा चुका है तथा फाइल पर मौजूद मामले में उचित निर्णय लिया जाएगा।

5.14 मेसर्स मरीना इंडिया।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स मरीना इंडिया को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 30.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 290.11 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 08 व्यक्तिगत सुनवाई में से किसी में भी उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 290.11 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई वापसी 19,01,93,192.00 रुपये है और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.15 मेसर्स एन बी एंटरप्राइजेज।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स एन बी एंटरप्राइजेज को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 9 महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 3.29 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति न करने के लिए दिनांक 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 08 व्यक्तिगत सुनवाई में से 06 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 3.29 करोड़ रुपये है। साथ ही, सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा

सुरेंद्र मलिक

प्राप्त की गई कम राशि 16,62,978.00 रुपये है और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।

3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.16 मेसर्स मीना हेंडीक्राफ्ट।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स मीना हेंडीक्राफ्ट को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 13.58 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 04 व्यक्तिगत सुनवाई में से 02 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 17.22 करोड़ रुपये है। साथ ही, सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई कम राशि 31,86,731.00 रुपये है और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

सुरेंद्र मलिक

5.17 मेसर्स अकाई एक्सपोर्ट इंटरनेशनल।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स अकाई एक्सपोर्ट इंटरनेशनल को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 17.49 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 06 व्यक्तिगत सुनवाई में से 05 में उपस्थित नहीं हुई। यह देखा गया है कि बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.06.2024 तक इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 20.02 करोड़ रुपये है। साथ ही, सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त की गई कम राशि 95,72,257.00 रुपये है और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर इकाई अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई।
3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय से लंबित बड़ी विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति न करने को बहुत गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि कई अवसर दिए जाने के बाद भी इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई प्रगति दिखाने में विफल रही है। अनुमोदन समिति ने मामले में कानूनी राय लेने के बाद बिना किसी देरी के इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें स्वीकृति पत्र को रद्द करना और/या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर करना शामिल है।

5.18 मेसर्स रितु ओवरसीज।

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स रितु ओवरसीज को विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत 27.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि नौ महीने की निर्धारित समय अवधि से परे 14.21 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी। इकाई को सुनवाई के लिए यथोचित पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन इकाई दिसंबर 2020 से मई 2024 तक दी गई 07 व्यक्तिगत सुनवाई में से 04 में उपस्थित नहीं हुई।
2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि इस कार्यालय के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, इकाई पर नौ महीने से अधिक समय से प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 01.06.2024 तक 56,594.00 रुपये है। साथ ही, सीमा शुल्क अनुभाग, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा प्राप्त ड्रॉबैंक 42,18,222.00 रुपये है और इकाई सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर अपने भंडार का सत्यापन कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई। यह भी बताया गया कि इकाई का स्वीकृति पत्र 02.02.2025 तक वैध है, हालांकि, इकाई 2019-20 से काम नहीं कर रही है।

सुरेंद्र मलिक

3. 19.06.2024 को हुई बैठक में इकाई से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
4. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि इकाई ने निर्धारित समय अवधि से परे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बकाया वसूल की है, जिसके लिए कारण बताओ सूचना जारी किया गया था। अनुमोदन समिति ने इकाई से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया कि वे पिछले लगभग 05 वर्षों से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका स्वीकृति पत्र अभी भी वैध है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक
(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त